

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज.

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम  
की तामिल में जारी  
हुये

13/10  
25

वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत संशोधन करवाने हेतु पेश करने पर पत्रावली आज सुनवाई पर ली गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण राजस्व वाद जीसीएमएस नंबर 2020/00131 अनवान नारायणलाल वगैरा बनाम मंगाराम वगैरा में दिनांक 18.08.2025 को न्यायालय द्वारा पारित आदेश व डिक्री में त्रुटिवश खसरा नंबर 405/4 के रकबा 0.375 हैक्टर के स्थान पर त्रुटिवश रकबा 0.3875 हैक्टर लिखा गया है जो गलत है जिसके कारण राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने में दुविधा उत्पन्न होने से त्रुटि को सुधारने हेतु निवेदन किया है। पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड का अध्ययन किया एवं वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन के पश्चात धारा 151, 152 सीपीसी के तहत न्यायालय द्वारा प्रकरण जीसीएमएस नंबर 2020/00131 अनवान नारायणलाल वगैरा बनाम मंगाराम वगैरा अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में दिनांक 18.08.2025 को पारित आदेश व डिक्री में खसरा नंबर 405/4 के रकबा 0.3875 हैक्टर के स्थान पर 0.375 हैक्टर के संशोधन के आदेश दिये जाते हैं। इस संशोधन को प्रकरण जीसीएमएस नंबर 2020/00131 अनवान नारायणलाल वगैरा बनाम मंगाराम वगैरा अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में दिनांक 18.08.2025 को पारित आदेश व डिक्री की निरंतरता में पढा जावे।



3  
सहायक क्लर्क एवं पट्टेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली  
उपखण्ड अधिकारी, बाली